<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता ,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध (उत्तराधिकार अधि.) संख्या 08/2024
सी.आई.एस.नम्बर 22/2024

श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री ललितकुमार चौहान पुत्री स्वर्गीय श्री विरेन्द्रकुमार, निवासी मकान नम्बर 813/13, गौतम नगर, टेकरी मजार के पास, अजमेर।

– प्रार्थिया

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती तारकेश्वरी पत्नी श्री संजय खण्डेलवाल पुत्री स्वर्गीय श्री विरेन्द्रकुमार, निवासी 1635 प्लॉट नम्बर 8, गली नम्बर 01 तिलक नगर धोलाभाटा अजमेर।
2. श्रीमती दुर्गेश पत्नी श्री डालचंद पुत्री स्वर्गीय श्री विरेन्द्रकुमार, निवासी अयोध्या नगरी धोलाभाटा अजमेर।
3. श्रीमती कमलेश राजोरिया पत्नि श्री सुनील राजोरिया पुत्री स्वर्गीय श्री विरेन्द्रकुमार,निवासी सी–67, विराट नगर, तेजेन्द्र बस स्टॉप के सामने, निकोल तेजेन्द्र विहार सोसायटी पार्ट 2, अहमदाबाद सिटी।
4. श्रीमती अंजुकुमारी पत्नी श्री योगेशकुमार पुत्री श्री विरेन्द्रकुमार, निवासी प्लॉट नम्बर 98, सिद्धार्थ नगर धोलाभाटा रोड, अजमेर।
5. श्रीमती ज्योत्सना पत्नी श्री रविन्द्रसिंह राठौड पुत्री स्वर्गीय श्री विरेन्द्रकुमाार, निवासी प्लॉट नं0 98, मयूर विलास, धोलाभाटा रोड़, सिद्धार्थ नगर, अजमेर।
6. मनीषकुमार पुत्र स्वर्गीय श्री विरेन्द्रकुमार, निवासी प्लॉट नम्बर 98, मयूर विलास, सिद्धार्थ नगर, धोलाभाटा अजमेर।
7. श्री राम लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी जरिये इसके प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय शाखा क्षेत्रपाल अस्पताल के पीछे, हाथीभाटा, अजमेर एवं मुख्य कार्यालय नम्बर 31 व 32, 5 व 6 फ्लोर रामके सेलीनियम के पीछे, आन्ध्रा बैंक, ट्रेन इन सैन्टर फाइनेनसियल, जिला गच्छीबावली हैदराबाद ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थित:

1. श्री ललित चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थिया की ओर से।
2. श्री देवेन्द्र कुमार बैरवा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 6 की ओर से।
3. श्री प्रमोद राणा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–3 व 5 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या–7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश **दिनांक: 13.03.2026**

1. प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री ललित कुमार चौहान पुत्री स्वर्गीय विरेन्द्र कुमार द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 के माता पिता श्रीमती सोनादेवी व श्री विरेन्द्र कुमार का देहान्त क्रमशः दिनांक 17.12.2020 व दिनांक 13.12.2020 को हो गया। मृतकगण विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या–7 के यहां से अलग–अलग पांच पॉलिसियां ली थी, जिनका विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है। उक्त पॉलिसियों की राशि प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या–7 द्वारा उक्त पॉलिसियों में नॉमिनी नहीं होने से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग की गई है। मृतकगण विरेन्द्रकुमार व श्रीमती सोनादेवी द्वारा सलंग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित राशि के लिये अपने किसी भी विधिक वारिस के पक्ष में किसी प्रकार का कोई वसीयतनामा या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है। प्रार्थिया के पक्ष में मृतकगण की प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित जमा राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में मृतकगण के अन्य विधिक वारिसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थिया के पक्ष में उसके माता पिता श्रीमती सोनादेवी व विरेन्द्रकुमार द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी जाकर अप्रार्थी संख्या 07 को निर्देशित किया जायें कि सलंग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित मृतकगण की पॉलिसियों की राशियां प्रार्थिया को निर्धारित ब्याज दर सहित अदा की जायें। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थिया की ओर से अपना शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। परिशिष्ट 'अ' का विवरण निम्न प्रकार है।

परिशिष्ट 'अ'

क.स.	लाईफ एश्योरड	राशि कहाँ से प्राप्त होनी है	पॉलिसी नम्बर	पॉलिसी की दिनांक	पॉलिसी परिपक्व दिनांक	पॉलिसी परिपक्व राशि
1	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131400107592	28.09.14	28.08.24	1,50,000/–
2	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP1316000021537	10.02.16	10.02.26	11,33,000/–
3	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	LN131600001334	08.01.16	08.01.26	55,000/–
4	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NN131600026477			
5	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131400103289	26.09.14	26.09.24	1,50,000/–

2. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए सम्मन जारी किये गये, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के दिनांक 05.11.2024 के अंक में करवाया गया तथा सम्मन सार्वजनिक स्थल पर भी चस्पा किये गये, किन्तु कोई आपत्तिकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत हुई। अप्रार्थीगण को भी सम्मन प्रेषित किये गये।

3. अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 की ओर से पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थिया के पक्ष में प्रार्थना–पत्र में वर्णित मृतकगण की राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने में अनापत्ति प्रकट की गई।

4. अप्रार्थी संख्या–7 की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 30.07.2024 से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

5. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न बिन्दु विरचित किये गये–

1. आया प्रार्थिया, प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मृतकगण विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी की पुत्री होने से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है?

– प्रार्थिया

2. अनुतोष ?

6. प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य में ए.डब्ल्यू.1 श्रीमती पुष्पा ने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें उसने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की अक्षरशः पुनरावृत्ति करते हुए अभिकथित किया कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 के माता पिता श्रीमती सोनादेवी व श्री विरेन्द्र कुमार का देहान्त क्रमशः दिनांक 17.12.2020 व दिनांक 13.12.2020 को हो गया। मृतकगण के प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। मृतकगण विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या–7 के यहां से प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित अलग–अलग पांच पॉलिसियां ली थी। उसके माता पिता द्वारा उक्त पॉलिसियां क्रय करते समय नॉमिनी एक दूसरे को दर्शित किया गया था। मृतकगण द्वारा ली गई उक्त पॉलिसियों की राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 विधिक उत्तराधिकारी है। मृतकगण द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। न्यायालय के बयान में प्रार्थिया ने प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रार्थिया पुष्पा स्वयं का आधार कार्ड, प्रदर्श–2 वीरेन्द्र कुमार का आधार कार्ड, प्रदर्श–3 वीरेन्द्र का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–4 सोना देवी का आधार कार्ड, प्रदर्श–5

सोना देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रदर्शित कराया गया। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 की ओर से गवाह से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

7. प्रार्थिया की ओर से में साक्ष्य में ए.डब्ल्यू 2 नमन चौहान ने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें उसने कथन किया कि उसके नाना–नानी विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी का देहान्त क्रमशः दिनांक 13.12.2020 व दिनांक 17.12.2020 को हो गया, जिनके उसकी माता प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 पुत्र–पुत्रियां है, जिनके अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान उनका नहीं है। मृतकगण विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी ने अपने जीवनकाल में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विभिन्न पॉलिसियां ली थी, जिनमें नॉमिनी आपस में एक–दूसरे को बनाया था। मृतकगण की मृत्यु के पश्चात उनकी पॉलिसियां की देय राशियां प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 प्राप्त करने के अधिकारी है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग की गई है। न्यायालय के बयान में साक्षी ने प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–6 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी की पॉलिसी एनपी 131400107592 है। प्रदर्श–7 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी की पॉलिसी एनपी 131600021537 है। प्रदर्श–8 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी एलएन 131600001334 है। प्रदर्श–9 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी एनपी 131400103289 है। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 की ओर से गवाह से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

8. प्रार्थिया की ओर से उसकी माता पिता द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति/राशियों के विवरण के सम्बन्ध में परिशिष्ट 'अ' दिनांकित 06.03.2026 पेश किया गया, जो निम्न प्रकार है–

परिशिष्ट 'अ' दिनांकित 06.03.2026

क. स.	लाईफ एश्योरड	राशि कहाँ से प्राप्त होनी है	पॉलिसी नम्बर	पॉलिसी की दिनांक	पॉलिसी परिपक्व दिनांक	पॉलिसी परिपक्व राशि
1	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131400107592	28.09.14	28.08.24	2,06,034/–
2	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131600021537	10.02.16	10.02.26	11,33,000/–
3	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	LN131600001334	08.01.16	08.01.26	73,319/–
4	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NN131600026477	19.02.16	19.02.26	13,00,000/–
5	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131400103289	26.09.14	26.09.24	2,44,658/–
कुल योग						29,57,011/–

9. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

<u>विवाद्यक संख्या–1–</u>

10. प्रार्थिया की ओर से यह प्रार्थना–पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत अपने माता पिता श्रीमती सोना देवी व विरेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' दिनांकित 06.03.2026 में वर्णित सम्पत्ति/राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रार्थिया स्वयं ए.डब्ल्यू 1 श्रीमती पुष्पा ने साक्ष्य में परीक्षित होकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य में ए.डब्ल्यू 2 नमन चौहान ने भी प्रार्थिया की साक्ष्य की पुष्टि की है। प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा व उसके गवाह नमन चौहान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 प्रार्थिया पुष्पा का आधार कार्ड है। प्रदर्श–2 विरेन्द्र कुमार का आधार कार्ड है। प्रदर्श–3 विरेन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण–पत्र है, जिससे उसकी मृत्यु दिनांक 13.12.2020 को होना प्रकट होता है। प्रदर्श–4 सोना देवी का आधार कार्ड है, जिसमें उसके पति का नाम विरेन्द्र कुमार अंकित है। प्रदर्श–5 सोना देवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र है, जिससे उसकी मृत्यु दिनांक 17.12.2020 को होना व उसके पति का नाम विरेन्द्र कुमार होना प्रकट होता है। प्रदर्श–6 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी नॉन यूलिप पॉलिसी संख्या NP131400107592 की प्रीमियम राशि जमा कराने की रसीद है, उक्त रसीद के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पॉलिसी विरेन्द्र कुमार के नाम से दिनांक 28.09.2014 को बीमित राशि 1,50,000/–रूपये की ली गई थी, जिसमें परिपक्वता तिथि 28.09.2024 व नॉमिनी सोना देवी (पत्नी) अंकित है। प्रदर्श–7 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी नॉन यूलिप पॉलिसी संख्या NP131600021537 की प्रीमियम राशि जमा कराने की रसीद है, उक्त रसीद के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पॉलिसी विरेन्द्र कुमार के नाम से दिनांक 10.02.2016 को बीमित राशि 11,33,000/–रूपये की ली गई थी, जिसमें परिपक्वता तिथि 10.02.2026 व नॉमिनी सोना देवी (पत्नी) अंकित है। प्रदर्श–8 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी यूलिप पॉलिसी संख्या LN131600001334 की प्रीमियम राशि जमा कराने की रसीद है, उक्त रसीद के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पॉलिसी सोनादेवी के नाम से दिनांक 08.01.2016 को बीमित राशि 55,000/–रूपये की ली गई थी, जिसमें परिपक्वता तिथि 08.01.2026 व नॉमिनी विरेन्द्र कुमार (पति) अंकित है। प्रदर्श–9 श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी नॉन यूलिप पॉलिसी संख्या NP131400103289 की प्रीमियम राशि जमा कराने की रसीद है, उक्त रसीद के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पॉलिसी सोनादेवी के नाम से दिनांक 26.09.2014 को बीमित राशि 1,50,000/–रूपये की ली गई थी, जिसमें परिपक्वता तिथि 26.09.2024 अंकित है।

11. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 के माता पिता श्रीमती सोना देवी व विरेन्द्र कुमार थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 17.12.2020 व दिनांक 13.12.2020 को होना उनके मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–5 व प्रदर्श–3 से प्रकट होता है। मृतकगण द्वारा अप्रार्थी संख्या–7 से अपने जीवनकाल में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित पॉलिसियां ली गई थी, जिनमें नॉमिनी एक–दूसरे को किया था। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतकगण श्रीमती सोना देवी व विरेन्द्र कुमार की मृत्यु के पश्चात प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 उनके पुत्र–पुत्रियां होकर विधिक वारिसान हैं। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 6 द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व दौराने बहस अनापत्ति प्रकट की गई है। दोनों पक्षों की और से यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के माता पिता श्रीमती सोना देवी व विरेन्द्र कुमार की प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित राशियां/सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या–7 के यहां जमा है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थिया की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या–7 की ओर से न्यायालय में किसी के उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अतः तथ्यों व विधि का विवाद नहीं होने से मृतकगण श्रीमती सोना देवी व विरेन्द्र कुमार के द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' दिनांक 23.01.2026 में वर्णित राशियों के बाबत प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विवाद्यक संख्या–1 का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 02: अनुतोष:–</u>

12. विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय एवं किये गये विवेचन के आधार पर प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा के पक्ष में मृतकगण विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी द्वारा छोड़ी गई प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' दिनांकित 06.03.2026 में वर्णित सम्पत्ति/राशियां बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करना उचित प्रतीत होता है।

13. परिणामतः प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा को मृतकगण विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा के पक्ष में मृतकगण विरेन्द्र कुमार व श्रीमती सोना देवी की प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' दिनांकित 06.03.2026 में वर्णित राशियों, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क. स.	लाईफ एश्योरड	राशि कहाँ से प्राप्त होनी है	पॉलिसी नम्बर	पॉलिसी की दिनांक	पॉलिसी परिपक्व दिनांक	पॉलिसी परिपक्व राशि
1	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131400107592	28.09.14	28.08.24	2,06,034/-
2	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131600021537	10.02.16	10.02.26	11,33,000/-
3	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	LN131600001334	08.01.16	08.01.26	73,319/-
4	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NN131600026477	19.02.16	19.02.26	13,00,000/-
5	श्रीमती सोना देवी	श्री राम लाईफ इन्श्योरेस कम्पनी	NP131400103289	26.09.14	26.09.24	2,44,658/-
कुल योग						29,57,011/-

व अन्य देय परिलाभ यदि कोई हो, के बाबत नियमानुसार न्यायालय शुल्क (Court Fee) प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा द्वारा उक्त राशि पर विधिवत न्याय शुल्क (Court Fee) पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

14. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर